अनवान ममता देवी बनाम शान्ति देवी वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निर्णय प्रा. पत्र 07R11 CPC प्र. क्र. 41/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/31 ता 1/3/8 श्री सोमप्रकाश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC पेश कर अनवानी प्रकरण में चक 48 NGC प.न. 136/261(26) कि.न. 11 ता 13, 18, 19, 22 ता 24 कुल 2.024 में वादीगण द्वारा 1/8 हिस्सा की घोषणा हेतु वादपत्र को चुनौति देते हुये कथन किया है कि पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 19.8.2016 द्वारा वादीगण के पिता द्वारा अपने हिस्से का त्याग किया गया है रजिस्टर्ड दस्तावेज को राजस्व न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित करने की क्षेत्राधिकारिता नही होने के कारण वादपत्र खारिज योग्य है। अधिवक्ता वादी ममता प्रजापति द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 07R11 CPC पेश कर कथन किया है कि दस्तबरदारी दिनांक 19.8.16 द्वारा हक त्याग जो वादीगण के हिस्से तक शून्य है व प्रभावहीन है इसलिए प्रा. पत्र 07R11 CPC खारिज किया जावे। अपने जवाब के समर्थन में 2023 RBJ 106 न्यायिक दृष्टांत पेश किया। हमने बहस उभयपक्ष सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी चक 46 NGC खाता नं. 154/79 में दर्ज तादादी 2.024 हैक्टेयर में वादीगण या वादी के पिता खातेदार नही है। उभयपक्ष द्वारा दस्तबरदारी दिनांक 19.8.2016 का होना	

[signature] सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	व रजिस्टर्ड दस्तावेज होना स्वीकार किया है। वादीगण को घोषणा का अनुतोष तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक किसी अभिलिखित खातेदार का नाम कलमजन अथवा हिस्सा कम नहीं किया जावे। किसी भी अभिलिखित खातेदार का नाम कलमजन नहीं किया जा सकता बशर्ते उचित कारण ना हो, अथवा रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभावशील हो।
	सामान्यत: रजिस्ट्री एक वैध एवं कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज है, क्योंकि इसे स्टाम्प एक्ट/रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज किया जाता है। किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को रद्द (Cancel) या अमान्य (Declare Void) करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। सक्षम न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज कैन्सल होने के उपरांत ही वादीगण को घोषणा का अनुतोष प्रभावशाली आधार पर प्रदान किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।
	[signature] सहायक ... एवं उप...